

Sch XIV- F.No. 180v

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल | नाम मौजा मय

थाना वो थाना नम्बर

V

फरद मलकी / फरद रैयती

नाम रैयत मय वलिदयत जमाबन्दी

वो सकुनत नम्बर।

Page No. : 23

Vol. No. : 107

Receipt No. : 0864851816

मानगो   वार्ड नं.-10 अ.क्षे.मानगो   16411   BHARTI DEVI		
खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
384	1579	0 एकड़ 1.52 डिसमील 0 हेक्टर

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली
------------	-------------	------------------------

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2022-2023)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष (2021-2022)	
माल (नकदी)	16.00				16.00	16.00
गुजारी (भावली)	4.00				4.00	4.00
सेस	8.00				8.00	8.00
सूद	8.00				8.00	8.00
मुतफरकात	3.20				3.20	3.20
मीजान	39.20				39.20	39.20

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबत	बकाया				मोतालबा हाल (2022-2023)	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष (2021-2022)		
माल (नकदी)				16.00	16.00	
गुजारी (भावली)				4.00	4.00	
सेस				8.00	8.00	
सूद				8.00	8.00	
मुतफरकात				3.20	3.20	
मीजान अदायकारी				39.20	39.20	

(१) मीजान कुल (लफजों में) : Seventy Eight Rupees and Fourty Paise

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- 78.40

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 02-04-2022

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

दो गज की दूरी का रखो ध्यान यही है कोरोना का समाधान ।

Sch XIV- F.No. 180v

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल । नाम मौजा मय

थाना वो थाना नम्बर

V

फरद मलकी / फरद रैयती

नाम रैयत मय वलिदयत जमाबन्दी

वो सकुनत नम्बर

Page No. : 43

Vol. No. : 103

Receipt No. : 0139071749

मानगो   वार्ड नं.-10 अ.क्ष.मानगो   16411   BHARTI DEVI		
खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
384	1579	0 एकड़ 3.409 डिसमील 0 हेक्टर

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली
------------	-------------	------------------------

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2021-2022)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष (2019-2020)	१ ला वर्ष (2020-2021)	
माल (नकदी)	34.00			34.00	34.00	34.00
गुजारी (भावली)	8.50			8.50	8.50	8.50
सेस . . . .	17.00			17.00	17.00	17.00
सूद . . . .	17.00			17.00	17.00	17.00
मुतफरकात . . . .	6.80			6.80	6.80	6.80
मीजान	83.30			83.30	83.30	83.30

तफसील अदायकारी

अदायकारी बावत	बकाया				मोतालबा हाल (2021-2022)	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष (2019-2020)	१ ला वर्ष (2020-2021)		
माल (नकदी)			34.00	34.00	34.00	
गुजारी (भावली)			8.50	8.50	8.50	
सेस . . . .			17.00	17.00	17.00	
सूद . . . .			17.00	17.00	17.00	
मुतफरकात . . . .			6.80	6.80	6.80	
मीजान अदायकारी			83.30	83.30	83.30	

(१) मीजान कुल (लफजों में) : Two Hundred Forty Nine Rupees and Ninety Paise

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- 249.90

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 04-01-2022

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

दो गज की दूरी का रखो ध्यान यही है कोरोना का समाधान ।

## MANGO NAC

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ति कर की सूचना।

Memo No : 301338120218051245

Date : 12-02-2018

प्रभावी : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री : Baljnath prasad & brother ,

मोहल्ला : Balliguma bagan area MGM MANGO Jamshedpur

9835193734

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं - 0100090842000A2 वार्ड सं 10 हुआ है, आपके स्व निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 9520/- रूप निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	48.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	विजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		48.00



Baljnath prasad

To be signed by the Applicant

नोट:-

- कर निर्धारण की सूची MANGO NAC Website [www.jamshedpur.nic.in](http://www.jamshedpur.nic.in) पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंठिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संयोजन लगा कर निगम का सूचित कर तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण भूत कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय भूत को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्तर या उसके पूर्व नहीं बुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- गृह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है। इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम कर सकती है एवं तब गलत पाए जाने पर नियमावली कंठिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fines) एवं अंतर राशि देय होगी।
- MANGO NAC द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इभरलेट/टाचों को कोई कानूनी वैधियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों/दखलदार को कोई कानूनी अधिक प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होस्टिंग नं० का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विधिपूर्वक संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.